राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़ कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियम/अभिदान

क्रमांकः– आरएसएमएम/सीओ/कार्मिक/19(38)/2023:-468 दिनांकः– 09.11.2023
20

(RSMML GPF REGULATIONS)

1. **शीर्षक एवं लागू होने की तिथि–**

(i) ये विनियम आरएसएमएमएल सामान्य प्रावधायी निधि विनियम 2023 कहलायेंगे।
(ii) ये विनियम इस अधिसूचना के जारी होने के उपरान्त प्रभावी होगें।
(iii)ये नियम जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम अंगीकृत करने वाले सेवारत कर्मचारियों पर ही लागू होगा।

2. **परिभाषायेंः–** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होः–

(i) "**खाता**" से अभिप्राय विभाग के पास खाताधारक के उस खाते से है जिसमें विभाग द्वारा उसकी समस्त जमा राशि एवं ब्याज जमा किया जाता है एवं आहरण नाम लिखा जाता है।
(ii) "**खाताधारक**" से अभिप्राय उस अभिदाता से है जिसका इन नियमों के अन्तर्गत खाता संधारित किया जायेगा।
(iii) "**अभिदाता**" से अभिप्राय उस आरएसएमएमएल कार्मिक से है जिसका अभिदान इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होगा।
(iv) "**विभाग**" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से है।
(v) "**सरकार**" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है।
(vi) "**कार्यालयाध्यक्ष**" से अभिप्राय आरएसएमएमएल के प्रबन्ध निदेशक से है।
(vii) "**राज्य**" से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है।
(viii) "**निधि**" से अभिप्राय सामान्य प्रावधायी निधि से है जिसमें विभाग द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि योजना से संबंधित समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान सम्मिलित है।
(ix) "**वित्तीय वर्ष**" से अभिप्राय 1 अप्रेल से प्रारम्भ होने वाला एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष से है।
(x) "**परिवार**" से अभिप्रायः–

1. "पुरूष अभिदाता" के मामले में पत्नी अथवा पत्नियां, माता–पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और अगर अभिदाता के माता–पिता जीवित नहीं हैं तो दादा–दादी।

परन्तु अगर अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे पृथक कर दी गई है या जिस समुदाय से वह संबंधित है, उस की रूढीजन्य विधि के अधीन वह भरण पोषण की हकदार नहीं रही है तो वह रूढीजन्य विधि के अधीन यह भरण पोषण की हकदार नहीं रही है तो वह विनियमनों के अन्तर्गत परिवार की सदस्य तब तक नहीं मानी जायेगी जब तक कि अभिदाता बाद में आरएसएमएमएल को इस संबंध में सदस्य माने जाने के लिए लिखित में सूचित नहीं कर देता है।

2. **"महिला अभिदाता"** के मामले में पति, माता–पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे और जहां पर माता पिता जीवित नहीं है तो दादा दादी।

परन्तु यदि अभिदाता द्वारा आरएसएमएमएल को लिखित में अपने पति को परिवार से अपवर्जित करने की इच्छा अभिव्यक्त की जाती है तो पति इन नियमों के संदर्भ में अभिदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित में निरस्त नहीं कर दे।

(xi) **"वेतन"** से अभिप्राय–कार्मिक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले निम्नांकित मासिक वेतन से है–

1. वेतन, विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत वेतन के अतिरिक्त जो उसके द्वारा स्थाई (Substantively) या स्थानापन्न (Officiating) से धारण किये गये पद के लिये स्वीकृत किया गया है या जिसे वह अपनी पदीय स्थिति के कारण प्राप्त करने का पात्र है एवं

2. विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन, एवं

3. अन्य राशि जो बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

(xii) **"ई–पासबुक/पासबुक"** से आशय उस पासबुक से है जो पासबुक के रूप में इन विनियमनों के अन्तर्गत आरएसएमएमएल द्वारा जारी की गई है एवं सत्यापित की गई है और जो स्कैन प्रति (Scanned Copy) के रूप में आरएसएमएमएल पोर्टल पर प्रदर्शित होती है।

(xiii) **"सामान्य प्रावधायी निधि योजना"** से अभिप्राय इन विनियमों में वर्णित सामान्य प्रावधायी निधि योजना से है जिनमें सामान्य प्रावधायी निधि सेब (जीपीएफ–सैब) भी सम्मिलित है।

(xiv) **"एसआईपीएफ पोर्टल"** यह एक विभागीय वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सामान्य प्रावधायी निधि योजना के लेखों का संधारण, भुगतान तथा अभिदाता के सम्पूर्ण कार्यों का ऑनलाईन संधारण एवं निस्तारण किया जायेगा।

3. **प्रावधायी निधि योजना में अभिदानः–**

1. आरएसएमएमएल का कर्मचारी जो जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को अंगीकृत करता है वह प्रावधायी निधि योजना में अनिवार्य रूप से 12 प्रतिशत की दर से अभिदान करेगा।

2. सामान्य प्रावधायी निधि–सैब (जीपीएफ–सैब) के कार्मिक सामान्य प्रावधायी निधि योजना में अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदान कर सकेंगे। यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते है तो आरएसएमएमएल के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जायेगी वही कटौती की जायेगी।

4. **सेवानिवृति पश्चात खाताधारक को खाता चालू रखने का विकल्पः–**

(i) खाताधारक को यह विकल्प होगा कि वह सेवानिवृति के पश्चात् प्राप्त सेवानिवृति परिलाभों की राशि तक यथा सेवानिवृति उपादान, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण, प्रावधायी निधि स्वत्व राशि, प्रावधायी निधि खाते में जमा करा सकेंगे। इस जमा राशि एवं अर्जित ब्याज पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित खाताधारक का होगा।

(ii) उपरोक्त विनियमन 4 (i) में उल्लेखित अवधि में खातेदार अपने खाते से आवश्यकतानुसार कुल जमा राशि की सीमा तक आहरित कर सकेगा।

5. **नाम निर्देशनः–**

(i) निधि में सम्मिलित होते समय अभिदाता एक अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में आरएसएमएमएल पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन नाम निर्देशन करेगा, जिसे उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई हो तो उसके भुगतान होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में निधि में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा।
अभिदाता द्वारा विवाह पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन विवाह पश्चात नया मनोनयन नहीं करने की स्थिति में उसके पत्नि/पति के पक्ष में स्वतः ही किया हुआ समझा जायेगा।

(ii) यदि अभिदाता उपरोक्त उप विनियमन (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशत करता है तो मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत को प्राप्त होने वाली राशि या उसके भाग को इस प्रकार निर्दिष्ट करेगा कि निधि में किसी भी समय जमा उसकी सम्पूर्ण राशि इसके अन्तर्गत समाहित हो जाये।

(iii) अभिदाता किसी भी समय पूर्व में किये गये नाम निर्देशन को निरस्त कर प्रावधानों के अनुरूप नया नाम निर्देशन कर सकेगा।

(iv) **अभिदाता नाम निर्देशन में प्रावधान कर सकता है किः–**

1. किसी विनिर्दिष्ट मनोनयन के संदर्भ में, मनोनीत की अभिदाता से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उस मनोनीत के अधिकार मनोनयन प्रपत्र में निर्दिष्ट किये गए अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को हस्तान्तरित होंगे परन्तु यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य है तो ऐसा मनोनयन परिवार के सदस्य/सदस्यों के लिए ही मान्य होगा। इस खण्ड के अन्तर्गत यदि अभिदाता ऐसा अधिकार एक अधिक व्यक्तियों का प्रदान करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि/भाग का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि पूर्व में मनोनीत को प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि/भाग इसके अन्तर्गत समाहित हो जायें।

2. मनोनयन में किसी निर्दिष्ट की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में मनोनयन अवैध हो जायेगा।

   परन्तु मनोनयन पंजीकृत कराते समय यदि अभिदाता के परिवार में केवल एक ही सदस्य है तो वह मनोनयन में प्रावधान करेगा कि उपरोक्त खण्ड (i) में वैकल्पिक मनोनीत को प्रदत्त अधिकार परिवार के अन्य सदस्य/सदस्यों के परिवार में शामिल हो जाने पर अमान्य हो जायेंगे।

(v) ऐसे मनोनीत की मृत्यु की दशा में, जिसमें मनोनयन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हो या किसी घटना में घटित होने पर मनोनयन अमान्य हो जाता है, इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत पुराना मनोनयन निरस्त करते हुए नया मनोनयन दर्ज करेगा।

(vi) अभिदाता द्वारा किये गये मनोनयन एवं निरस्तीरकरण मनोनयन एवं निरस्तीकरण के प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगे।

(vii) मनोनीत पर खातेदार की हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप होने पर जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान न्यायालय का निर्णय होने तक लंबित रखा जायेगा। न्यायालय का निर्णय होने पर यदि मनोनीत पर हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होता है तो जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों को किया जायेगा। मनोनीत निर्देशिती पर हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध नहीं होता है एवं सरकार आगे अपील में नहीं जाने का निर्णय लेती है, तो जीपीएफ खाते में जमा राशि का भुगतान मनोनीत को किया जायेगा।

6. **खाता संख्या एवं पास बुकः–**

(i) आरएसएमएमएल के सामान्य प्रावधानी निधि विभाग (GPF) द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. **खाते में जमा की जाने वाली राशिः–**

(i) इन विनियमनों के नियम 3 के अर्न्तगत अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा उनके वेतन से अनिवार्य मासिक अभिदाय किया जायेगा परन्तु निलम्बन की अवधि में अभिदाय की राशि की कटौती नहीं की जायेगी। अभिदाता के वेतन से राशि आहरित किया जाकर वहां अभिदाय की निर्धारित राशि ऑन लाईन प्रकिया से जमा करवाई जायेगी।

(ii) आरएसएमएमएल द्वारा जमा कराये जाने के लिए आदेशित अन्य कोई राशि।

(iii) उपरोक्त वर्णित राशि एवं अन्य अनिवार्य कटौतियों को कम करने के पश्चात वार्षिक परिलब्धियों में शेष राशि तक स्वैच्छिक तौर पर जमा कराई जा सकेगी।

8. **जमा का बंद होनाः–**

(i) अभिदाता की मृत्यु, सेवा से त्याग पत्र, पदच्युत कर दिये जाने, हटाये जाने, सेवानिवृति से पूर्व अवकाश पर जाने पर कटौती बंद हो जायेगी।

(ii) अभिदाता की सेवानिवृति से एक माह पूर्व उसकी कटौती बंद हो जायेगी।

9. **राशि जमा कराये जाने की प्रकियाः–**

पूर्व नियुक्त कार्मिकों के लिए वित्त एवं लेखा विभाग संबंधित अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर से मासिक अभिदाय की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त आरएसएमएमएल के आदेशों से जमा राशि एवं अभिदाता द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि अभिदाता द्वारा जमा कराई जा सकेगी।

10. **ब्याजः–**

राज्य सरकार के नियमानुसार सामान्य प्रावधानी विभाग के द्वारा गणना की जाकर जमा (क्रेडिट) किया जायेगा।

11. **आहरणः–**

(i) कोई भी अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा परन्तु यह सीमा उपक्रम में संधारित खातों में जमा वास्तविक राशि तक ही सीमित होगीः–

(अ) बिना कारण बताये आहरण की स्थिति में :

क्र.सं.	आहरण प्रतिशत	सेवा अवधि
1	10 प्रतिशत	5 वर्ष से 15 वर्ष
2	30 प्रतिशत	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम
3	40 प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम
4	50 प्रतिशत	30 वर्ष से अधिक
5	90 प्रतिशत	अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर

(ब) कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरणः

क्र.सं.	आहरण प्रतिशत	कारण
1	50 प्रतिशत	1 अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु। 2. वाहन क्रय 3 स्थाई उपभोग की वस्तुओं का क्रय। 4 अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता–पिता की बीमारी पर व्यय। 5 अन्य कारण जो आरएसएमएमएल द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जावें। नोटः– आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही आहरण किया जा सकेगा।
2	75 प्रतिशत	1 भवन निर्माण, भू–खण्ड क्रय, आवास क्रय, फ्लेट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण, विस्तार, परिवर्धन, भू–खण्ड पर भवन निर्माण 2 अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह हेतु। 3 अन्य कारण जो आरएसएमएमएल द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जावे।

(ii) आहरण /भुगतान यथावश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने पर आरएसएमएमएल द्वारा किया जायेगा।

12. अभिदाता के सेवानिवृत अथवा सेवामुक्त होने पर खाता बंद होने की प्रक्रियाः–

(i) अभिदाता के खाते में जमा राशि मय ब्याज भुगतान हो जाने पर अभिदाता का खाता बंद कर दिया जायेगा।

(ii) निदेशक खाता बंद किये जाने वाले वर्ष के दौरान लिये गये आहरण को कम करते हुए अभिदाता के खाते में जमा राशि पर भुगतान करने से पूर्व माह तक के ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान करेगा।

(iii) केवल मृत्यु के मामलों को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में भुगतान अभिदाता को किया जावेगा। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में भुगतान निमय 13 के अनुरूप किया जायेगा।

(iv) अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु अभिदाता ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ Undertaking हेतु निर्धारित चैक बॉक्स में सहमति प्रस्तुत करेगा जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाये जाने पर राशि जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा।

13. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रियाः–

1. अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार छोड़ने की दशा मेंः–

(i) यदि अभिदाता द्वारा नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत तदनुरूपी नियम उपबन्धों के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन से संबंधित है, नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को संदेय हो जायेगा।

(ii) यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है, या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम के एक अंश से ही संबंधित है, तो सम्पूर्ण रकम या उसका अंश, जो नाम निर्देशन से संबंधित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष

में किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके परिवार के तत्समय जीवित सदस्यों को समान अंशों में संदेय हो जायेगा तथापि यदि कोई विवाद हो और विभाग वारिसों के बारे में विनिश्चिय करने की स्थिति में नहीं हो तो दावे के संदाय हेतु आरएसएमएमएल पोर्टल पर ऑनलाईन क्लेम रिक्वेसट सबमिट की जायेगी और जांच उपरान्त पात्र होने पर सक्षम स्तर से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जायेगा।

2. **अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार न छोड़ने की दशा में:–**

(i) यदि नियम 5 के या इससे पूर्व प्रवृत तदनरूपी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश, जो नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जावेगा।

(ii) अभिदाता के लापता होने पर खातेदार के विभाग द्वारा जारी सेवामुक्ति आदेश अथवा न्यायालय द्वारा मृतक घोषित किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर जीपीएफ में जमा राशि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है तो, संदाय होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर वैध मनोनीत/दावेदार की ओर से प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एसआईपीएफ पोर्टल ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट की जायेगी और जांच उपरान्त पात्र होने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जायेगा।

(iv) अभिदाता की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान हेतु मनोनीत/दावेदार ऑनलाईन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ ऑन लाईन undertaking हेतु निर्धारित चैक बॉक्स में सहमति प्रस्तुत करेगा, जिसमें अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाये जाने पर राशि जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा।

14. **किसी भी न्यायालय द्वारा खाता अधिग्रहित/कुर्क न करना:–**

इन नियमों के अनुसरण में सामान्य प्रावधायी निधि के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि अधिग्रहण और/या किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिये कुर्की से मुक्त है और ऐसी संम्पूर्ण राशि इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को देय है, अधिग्रहण से मुक्त रहेगी।

15. उपरोक्त "आरएसएमएमएल कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि विनियम–2023" में जहाँ राज्य सरकार के नियमों के अन्तर या व्याख्या का प्रश्न है तो राज्य सरकार के नियमों में उल्लेखित प्रावधान लागू रहेंगे।

यदि आरएसएमएमएल द्वारा संदर्भित नियमों में भिन्न विनियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान किया जाता है तो इस संदर्भ में निदेशक मण्डल/प्रबंध निदेशक स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(गोविन्द सिंह राणावत)आर.ए.एस.
कार्यकारी निदेशक प्रशासन

गोविन्द सिंह राणावत
आरएएस
कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)
आर.एस.एम.एम.एल. उदयपुर